भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 188*

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

बाढ़ के कहर से त्रस्त राज्य

***188. श्रीमती झरना दास बैद्य :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर भारत में कई राज्य बाढ़ के कहर से त्रस्त हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए हैं, जिनके मकान बाढ़ में बह गए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में गृह मंत्री **(श्री राजनाथ सिंह)**

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 3 अगस्त, 2016 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) : प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर पुनर्वास अभियान संचालित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। भारत सरकार तत्काल बचाव, राहत और सामान्य स्थिति की बहाली से संबंधित गतिविधियों के लिए संभारकी सहायता के माध्यम से राज्य सरकार की सहायता करती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत एवं पुनर्वास उपायों की स्थिति केन्द्रीकृत रुप से नहीं रखी जाती है, क्योंकि संबंधित राज्य सरकार, स्वयं के संसाधनों/योजनागत निधियों तथा अपनी मौजूदा संबंधी नीति के अनुसार, सरकारी जमीन की उपलब्धता के आधार पर पुनर्वास संबंधी उपाय करती है।

*****